संख्या-65/2015/वे0आ0-2-1218(ए)/दस-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

गृह, गोपन एवं बीजा पासपोर्ट विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 08 दिसम्बर, 2015**

विषय- महामहिम श्री राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के साथ सम्बद्ध सुरक्षा कर्मियों के ड्रेस कोड भत्ते की दरों को संशोधित किये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के साथ सम्बद्ध सुरक्षा कर्मियों के ड्रेस कोड भत्ते की दरों को संशोधित किये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर यह निर्णय लिया गया है कि महामहिम राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को रू0 5000/-- प्रतिवर्ष प्रति सुरक्षा कर्मी की दर से अनुमन्य ड्रेस कोड भत्ता के स्थान पर तत्काल प्रभाव से अर्थात इस सम्बन्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से रु0 10000/- प्रतिवर्ष प्रति सुरक्षा कर्मी की दर से ड्रेस कोड भत्ता अनुमन्य कराया जाय।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-65/2015/वे0आ0-2-1218(ए)(1)/दस-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:---

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।